

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 264- शनिवार 25- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये RNI Reg.No.-CHHHN/2004/15050, डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

साक्षिप्त समाचार

नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-लगातार गलतियों के सिलसिले को खत्म करे सरकार



नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026। नीट पेपर लीक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार गलतियों का सिलसिला इसी तरह जारी नहीं रह सकता। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र से कहा कि वे इस मामले पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। पीठ ने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार से नीट-यूजी परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर-आधारित परीक्षा की ओर बढ़ने की योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी। पीठ ने कहा, अगर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है तो डेटा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। कृपया हमें बताएं कि आप पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जाने के लिए क्या कर रहे हैं। कृपया बताएं कि कंप्यूटर-आधारित परीक्षा में जाने पर आप डेटा की सुरक्षा कैसे करेंगे। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जाएंगे। सांलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा, प्रिटिंग से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया कोर्ट के सामने रखी जाएगी। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है और कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी एक हलफनामे में दी जाएगी।

रवनीत बिट्टू का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर किया



लुधियाना, 24 जुलाई 2026। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को 24 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। बिट्टू को कुछ समय पहले भाजपा ने राज्यसभा की टिकट नहीं दी थी, जिस वजह से वे अब सांसद नहीं थे। वे केंद्र सरकार में पंजाब से बीजेपी के इकलौते राज्य मंत्री थे, उन्हें रेल राज्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग दिया गया था। वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं। अब बिट्टू अगले साल होने वाला पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। रवनीत बिट्टू ने लुधियाना से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। इसके बाद भाजपा ने उन्हें राज्यसभा से राज्यसभा सांसद बनाया। इसके बाद 21 जून को कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद भाजपा ने उनकी जगह अमृतसर से भाजपा नेता तरुण चुग को राज्यसभा भेज दिया। हालांकि नियमों के मुताबिक बिट्टू बिना सांसद बने भी 6 महीने यानी 21 दिसंबर तक मंत्री बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे को लेकर रवनीत बिट्टू ने कहा... मैंने 2-3 महीने पहले ही इस बारे में रिक्वेस्ट की थी। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर आए थे, उस दिन भी मैंने ये बात कही। पिछले सेशन में भी मैं शामिल नहीं हुआ था।

बहार के नवादा में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत, दो महिलाएं झुलसीं

नवादा, 24 जुलाई 2026। बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत सांभोकर गांव में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घायलों का इलाज नारदीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों में तीन किसान और एक 12 वर्षीय बालक शामिल हैं। सभी लोग खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए खेत में काम कर रहे लोग पास के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल नारदीगंज पीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है।

पेपर लीक पर कड़ी सजा वाले बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

10 साल की जेल, 1 करोड़ जुर्माना



जेल और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। साथ ही इन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जो 3 महीने के भीतर फैसला सुनाएंगी। दरअसल, पीएम मोदी ने गुरुवार रात एक वीडियो जारी करके कहा था कि पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा होगी, फिर से संसद में पेश किया जाएगा। पीएम ने कहा... पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले छह महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं।

सरकार के साथ वार्ता के बाद सीजेपी बोली... प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026। सरकार के साथ यहां कान्ट्रीट्यूशन क्लब में बातचीत के बाद कांकेरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारी इस मांग पर सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह शामिल थे, जबकि सीजेपी का प्रतिनिधित्व आशुतोष रांका और सौरव दास ने किया। आशुतोष रांका ने पत्रकारों को बताया, सरकार ने धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने छात्रों पर एफआईआर और कानूनी मामले वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को गैर-समझौतावादी बताते हुए स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी ने



कहा कि जब तक उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं होती, तब तक जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा। सीजेपी और सरकार के बीच दिल्ली में यह दूसरे दौर की बातचीत थी। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। उस बैठक में भी सीजेपी की ओर से आशुतोष रांका और सौरव दास मौजूद रहे थे। इसके पहले सरकार ने कहा था कि हमने चार बार सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया पर वे नहीं आए। वहीं, सीजेपी ने कहा था कि उसके प्रतिनिधि बात करने के लिए जेपी नड्डा के आवास पर नहीं जाएंगे, किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत हो सकती है।

राज्यसभा में राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने वाला विधेयक पेश, संसद के दोनों सदन सोमवार तक स्थगित

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को राज्यसभा में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान के समान दर्जा दिलाने वाले वाला विधेयक पेश किया। नित्यानंद राय ने सदन में आरोप लगाया कि विपक्ष विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी सम्मान प्राप्त होगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में शुक्रवार को भी विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज प्रभावित रहा। लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही की शुरुआत में करगिल दिवस (26 जुलाई) पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे और बाद में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी ओर राज्यसभा में पहले कार्यवाही 12 बजे, फिर 02 बजे और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे कार्यवाही प्रारंभ होने पर नित्यानंद राय ने सदन में राष्ट्र गीत अपना निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन किए जाने वाला विधेयक पेश किया। विधेयक को पेश किये जाने का सीपीआई नेता संदीप कुमार पी और सीपीआई (एम) नेता जॉन ब्रिटान ने विरोध किया। बिपक्ष ने कहा कि संसद साधारण कानून बनाकर संविधान की मूल व्यवस्था को नहीं बदल सकती। संविधान सभा ने लगभग तीन वर्षों के गहन विचार-विमर्श के बाद जानबूझकर राष्ट्रगीत और



राष्ट्रगान को समान संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। यदि संविधान निर्माताओं की ऐसी मंशा होती तो वे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करते। उन्होंने कहा कि कानून के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रवाद को गढ़ा नहीं जा सकता। इस विधेयक का उद्देश्य समाज का धुवीकरण करना प्रतीत होता है। संदीप कुमार ने कहा कि भारतीयों को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। रवींद्रनाथ ठाकुर सहित भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इसे समझा था। यही कारण है कि राष्ट्रगान के केवल दो अंतरों को ही अपनाया गया। वे इस विधेयक का विरोध करते हैं कि इसके माध्यम से रवींद्रनाथ ठाकुर और बकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के बीच कृत्रिम विभाजन पैदा कर का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच लोकसभा में संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजजू ने एक बार फिर विपक्ष से छात्रों के मुद्दे पर चर्चा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया है और समाजिक

कार्यकर्ता (सोनम वांगचुक) ने भी भूख हड़ताल समाप्त कर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को इस विषय में समझाएं। इससे पहले सुबह 26 जुलाई को रविवार होने के कारण करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। यह सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह किए बिना अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया तथा अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। वहीं, राज्यसभा में भी करगिल शहीदों को नमन किया गया।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बड़ी कार्रवाई... 47 अधिकारी-कर्मचारी को बर्खास्त किया

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026। राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षाओं के संचालन को लेकर लगातार विवादों के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, हटाए गए कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। नीट सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा प्रक्रिया में कथित

अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह कार्रवाई की गई है। पिछले कई महीनों से देशभर में लाखों छात्र और विभिन्न छात्र संगठन परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह कदम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए एजेंसी के ढांचे और कार्यप्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी में है। आने



वाले समय में कई अन्य सुधारालयक कदम भी उठाए जाएंगे। हालांकि, सरकार की ओर से यह संकेत भी दिए गए हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र

प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे और उनके इस्तीफे का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस कानून को शीघ्र संसद से पारित

कराकर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि नीट प्रश्नपत्र लीक मामले के कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उन्हें न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। वर्ष 2018 से अब तक एजेंसी देशभर में 270 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का आयोजन कर चुकी है, जिनमें लगभग 6 करोड़ 60 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 में अब तक एजेंसी 12 परीक्षाओं का आयोजन कर चुकी है, जिनमें करीब 65 लाख अभ्यर्थी

शामिल हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में 39 स्थायी पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 24 पदों पर नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 15 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त एजेंसी में 73 कर्मचारी संविदा पर तथा 124 कर्मचारी बाह्य स्रोत (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से कार्यरत हैं। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक सुधार, कड़े कानून और जवाबदेही तय करने जैसे उपायों से राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में छात्रों का विश्वास पुनः स्थापित किया जा सकेगा।

केंद्र ने कर्नाटक-आंध्र प्रदेश में रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने शुक्रवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी-गुंटकल सेक्शन पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,264 करोड़ रुपये है और इसे वर्ष 2028-29 तक पूरा किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। परियोजना से भारतीय रेल नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की वृद्धि होगी और तीन जिलों के करीब 99 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। इन गांवों की आबादी लगभग सात लाख है। इस परियोजना से लौह अयस्क, खेलोमाइट, चूना पत्थर, इस्पात, कोयला, खाद और खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के परिवहन की क्षमता बढ़ेगी। अनुमान है कि अतिरिक्त माल यातायात 16.22 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ेगा। परियोजना से तेल आयात में 1.32 करोड़ लीटर की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में 6.67 करोड़ किलो की कमी आएगी, जो 0.27 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। परियोजना से बल्लारी किला और श्री कुमार स्वामी मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क भी बेहतर होगा।



धर्मेन्द्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री, इस्तीफा दें : राहुल

उनकी वजह से हजारों लोग सड़क पर, पैलेट गन से घायल छात्र की टी-शर्ट उठाकर घाव दिखाए

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026। राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, 'धर्मेन्द्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। वे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं।' उन्होंने छात्र के हाथ में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा, 'मैं यह बताया चाहता हूं कि यहां खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था, जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन कर रहा था।' उन्होंने कहा, 'सरकार का कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसकी आंख को नुकसान पहुंचा है और उसकी देखने की क्षमता चली गई है।'



साहिल की रोशनी लौटने की सिर्फ 1% संभावना

राहुल ने जिस छात्र की चोट दिखाई। उसका नाम साहिल लोचाव है। वह 19 साल का है और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की पैलेट गन से इनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। AAIMS के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में सर्जरी हुई है। परिवार के मुताबिक, डॉक्टरों ने बताया है कि घायल आंख की रोशनी लौटने की सिर्फ 1% संभावना है, क्योंकि आंख की पुतली को गंभीर नुकसान पहुंचा है। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हैं। उनकी मां ज्योति ने बताया, 'वह पहले भी CJP के प्रदर्शन में गया था।'

यूएई से भारत लाया गया 100 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश ठगी का आरोपित अविनाश अर्जुन राठौड़ इतिहास



नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से रेंड नोटिस जारी आरोपित अविनाश अर्जुन राठौड़ को भारत प्रत्यर्पित (डिपोर्ट) कराया। निवेशकों से निश्चित मासिक रिटर्न का झांसा देकर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित राठौड़ को गुरुवार को मुंबई लाया गया, जहां महाराष्ट्र पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने शुक्रवार को बताया कि एजेंसी ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वय से से अविनाश अर्जुन राठौड़ को भारत प्रत्यर्पित किया। उसने अपने अन्य साथियों के साथ आपराधिक साजिश के तहत निवेशकों को विभिन्न निवेश योजनाओं में निश्चित मासिक रिटर्न का झूठा आश्वासन देकर निवेश करने के लिए प्रेरित करत था। इसके बाद उसने निवेशकों की राशि का कथित रूप से गबन कर लिया और धन को विभिन्न बैंक खातों तथा धौलैट खातों के माध्यम से इश्मर-उधर स्थानांतरित कर दिया।

हिमाचल में पहाड़ी से गिरी चट्टान की चपेट में आई टाटा सुमो, 13 लोगों की मौत

शिमला, 24 जुलाई 2026। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। उदयपुर थाना क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की मुख्य सड़क पर कढ़नाला-राहौली के पास पहाड़ी से अचानक गिरी भारी चट्टान की चपेट में एक टाटा सुमो आ गई। हादसे में वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को बचाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के बाद पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस के अनुसार, टाटा सुमो (एचपी-01एम-2210) में चालक सहित कुल 15 लोग सवार थे। वाहन को बॉर सिंह चला रहे थे। कढ़नाला क्षेत्र में राहौली से सुचना मिलते ही पहाड़ी से अचानक बड़ी चट्टान नीचे आ गिरी। वाहन सीधे उसकी चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही अधिकारी यात्रियों की मौत हो गई। चट्टान गिरने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। लाहौल स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ना ने



बताया कि हादसे में वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हैं और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि हादसा चंबा जिले के पांगी और लाहौल स्पीति जिले के सीमावर्ती इलाके में हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी मृतक चंबा जिले के पांगी क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि जिला लाहौल की पुलिस चौकी तिंदी और उदयपुर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मृतकों की पहचान की जा रही है। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

अपचारी बच्चों की फरारी का सिलसिला जारी... प्लेस ऑफ सेफ्टी और संप्रेक्षण गृह 2-2 से बराबर

6 महीने में 4 बार सुरक्षा व्यवस्था फेल



2026
फरारी की
टाइमलाइन

17 फरवरी 2026
प्लेस ऑफ सेफ्टी से
15 अपचारी बच्चे फरार

24 जून 2026
बाल संप्रेक्षण गृह से
11 अपचारी बच्चे फरार

14 जुलाई 2026
बाल संप्रेक्षण गृह से
13 अपचारी बच्चे फरार

23 जुलाई 2026
प्लेस ऑफ सेफ्टी से
3 अपचारी बच्चे फरार

2012 से खाली
जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद
प्रभारी के भरोसे चल रहा पूरा तंत्र

बैठक दिन में...फरारी रात में ! | सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल | आखिर कब जागेगा बाल संरक्षण तंत्र ?

6 महीने में चौथी फरारी : प्लेस ऑफ सेफ्टी और बाल संप्रेक्षण गृह 2-2 से बराबर,आखिर कब जागेगा बाल संरक्षण तंत्र?

बैठक दिन में,रात में फिर फरारी...2012 से खाली जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद,प्रभारी व्यवस्था के भरोसे चल रहा पूरा तंत्र

बैठक दिन में...फरारी रात में...24 घंटे भी नहीं टिक सकी बाल संरक्षण व्यवस्था

15...11...13...अब 3 फिर फरार,अपचारी बच्चों की
भागमभाग पर क्यों नहीं लग रही लगाम?

प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाम संप्रेक्षण गृह,फरारी का स्कोर 2-2,हार गई पूरी व्यवस्था

बार-बार फरारी, हर बार जांच...फिर भी नहीं बदली व्यवस्था,
छह महीने में चार बार टूटा सुरक्षा घेरा

2012 से जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद खाली,
छह महीने में चार फरारी ने खोली पूरे तंत्र की पोल

बाल संरक्षण या 'फरारी केंद्र'? छह महीने में 42
अपचारी बच्चे भागे,जवाबदेही अब भी अधूरी

फरारी की बराबरी: प्लेस ऑफ सेफ्टी और संप्रेक्षण गृह 2-2 से बराबर,सुरक्षा व्यवस्था फिर बेबस

दैनिक घटती-घटना लगातार उठाता रहा सवाल,फिर भी नहीं हुआ अपेक्षित सुधार।

दैनिक घटती घटना ने निभाई अपनी जिम्मेदारी...

अम्बिकापुर प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 अपचारी फरार मामले को प्रमुखता से उठाया



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 24 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

बाल संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य कानून से संघर्षरत बच्चों को सुरक्षित वातावरण, परामर्श, शिक्षा और सुधार का अवसर देना होता है, लेकिन अम्बिकापुर में संचालित प्लेस ऑफ सेफ्टी और बाल संप्रेक्षण गृह अब अपने मूल उद्देश्य से अधिक लगातार होने वाली फरारी की घटनाओं के कारण चर्चा में हैं, वर्ष 2026 के केवल छह महीनों में चार बार अपचारी बच्चों के फरार होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, सबसे चिंताजनक बात यह है कि हर घटना के बाद जांच, समीक्षा, निर्देश और कार्रवाई के दावे किए गए, लेकिन व्यवस्था में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दिया, अब स्थिति यह है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी और बाल संप्रेक्षण गृह दोनों से दो-दो बार बच्चे फरार हो चुके हैं, यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा प्रतीत होता है मानो दोनों संस्थानों के बीच अनचाही 'बराबरी' की स्थिति बन गई हो, यह तुलना व्यंग्यात्मक जरूर है, लेकिन इसके पीछे छिपा सच बेहद गंभीर है—बाल संरक्षण व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है।

बता दे की चार घटनाएं, चार जांचें, कई बैठकें, अनेक निर्देश और लगातार उठते सवाल

फिर भी सुरक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता, यदि सुधार गृहों से ही बच्चे बार-बार फरार हो रहे हैं, तो यह केवल संस्थानों की सुरक्षा का नहीं, बल्कि पूरे बाल संरक्षण तंत्र की कार्यप्रणाली का विषय बन जाता है, अब आवश्यकता केवल जांच की नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने, रिक्त पदों को भरने, सुरक्षा मानकों की स्वतंत्र समीक्षा करने और ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित करने की है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके, तभी बाल संरक्षण व्यवस्था अपने वास्तविक उद्देश्य के अनुरूप प्रभावी और विश्वसनीय बन पाएगी।

छह महीने... चार बड़ी घटनाएं—सबसे पहली बड़ी घटना 17 फरवरी 2026 को सामने

अब स्कोर 2-2...लेकिन हार पूरी व्यवस्था की...

यदि घटनाओं को क्रमवार देखा जाए तो पहले प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 बच्चे भागे, फिर बाल संप्रेक्षण गृह से 11 बच्चे भागे, इसके बाद फिर बाल संप्रेक्षण गृह से 13 बच्चे फरार हुए, अब प्लेस ऑफ सेफ्टी से तीन बच्चे भाग गए, यानी प्लेस ऑफ सेफ्टी - 2 बार बाल संप्रेक्षण गृह - 2 बार यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह बताने वाला आंकड़ा है कि दोनों संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था समान रूप से सवालों के घेरे में हैं।

सबसे बड़ा संयोग या सबसे बड़ी विफलता?

23 जुलाई की घटना इसलिए और अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि उसी दिन कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली थी, बैठक में अपचारी बच्चों के बार-बार फरार होने के मामलों पर चर्चा हुई, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई, यह भी कहा गया कि यदि भविष्य में फिर बच्चे भागे तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विडंबना देखिए बैठक खत्म हुई और उसी रात प्लेस ऑफ सेफ्टी से तीन बच्चे फरार हो गए, यानी बैठक के बाद सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे भी नहीं टिक सकी, अब सवाल यह है कि क्या बैठकों में लिए गए निर्णय केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं?

आई, जब महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन संचालित प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 अपचारी किशोर दीवार फांदकर फरार हो गए, इस घटना ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे, इसके बाद 24 जून 2026 को बाल संप्रेक्षण गृह से 11 अपचारी बालक खिड़की तोड़कर फरार हो गए, विभाग ने जांच के आदेश दिए और सुरक्षा मजबूत करने का दावा किया, लेकिन सुधार के दावों की पोल 14 जुलाई 2026 को फिर खुल गई, जब इसी बाल संप्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बच्चे दोबारा भाग निकले। लगातार दूसरी घटना ने स्पष्ट कर दिया कि पहले की चूक से कोई ठोस सबक नहीं लिया गया, इसके बाद 23 जुलाई 2026 की रात प्लेस ऑफ सेफ्टी से तीन अपचारी बच्चे खिड़की तोड़कर फरार हो गए, इस घटना के साथ ही दोनों संस्थानों से फरारी की घटनाओं का आंकड़ा दो-दो पर पहुंच गया।

2012 से खाली जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद—पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, जानकारी के अनुसार अम्बिकापुर में जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद वर्ष 2012 से रिक्त है, करीब 14 वर्षों से पूरा जिला प्रभारी अधिकारी के भरोसे संचालित हो रहा है, बाल संरक्षण जैसी संवेदनशील व्यवस्था में जहां नियमित

निरीक्षण, निगरानी, संस्थागत सुधार और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण होती है, वहां वर्षों तक नियमित अधिकारी की नियुक्ति नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।

क्या प्रभारी व्यवस्था पर्याप्त है?—जिला बाल संरक्षण अधिकारी की जिम्मेदारियों में शामिल हैं बाल संरक्षण संस्थाओं की निगरानी, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना, निरीक्षण करना, बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय, राज्य और जिला स्तर पर रिपोर्टिंग, ऐसे में यदि वर्षों तक पूरा तंत्र प्रभारी व्यवस्था पर चलता रहे तो यह स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या इसका असर संस्थानों की कार्यप्रणाली पर पड़ा है?

हर घटना के बाद वही प्रक्रिया— हर बार घटना होती है, जांच समिति बनती है, रिपोर्ट तैयार होती है, सुरक्षा मजबूत करने की बात होती है, जवाबदेही तय करने की घोषणा होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर कोई नई फरारी हो जाती है, ऐसे में जनता यह जानना चाहती है कि क्या पिछली जांच रिपोर्टों पर अमल हुआ? क्या सुरक्षा ऑडिट कराया गया? क्या खिड़कियां, दीवारें और सुरक्षा उपकरण सुधारे गए? यदि सुधारे गए तो फिर बच्चे बार-बार कैसे भाग रहे हैं?

दैनिक घटती-घटना ने लगातार निभाई अपनी जिम्मेदारी

इस पूरे मामले में दैनिक घटती-घटना ने लगातार अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभाते हुए हर घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया, 17 फरवरी को 15 बच्चों की फरारी से लेकर 24 जून को 11 बच्चों के भागने, 30 जून को व्यवस्था की खामियों पर विशेष रिपोर्ट, 16 जुलाई को तीसरी फरारी के बाद विस्तृत विश्लेषण और अब 23 जुलाई को फिर हुई फरारी तक अखबार ने लगातार सवाल उठाए कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा, समाचारों में सुरक्षा व्यवस्था, जवाबदेही, रिक्त पदों, निगरानी प्रणाली और प्रशासनिक कमियों को तथ्यों के आधार पर सामने रखा गया, इसके बावजूद फरारी की घटनाओं का सिलसिला नहीं रुका। अब लगातार चार घटनाओं के बाद यह प्रश्न और गंभीर हो गया है कि आखिर जांच रिपोर्टों और समीक्षा बैठकों का वास्तविक परिणाम क्या निकला?

अब शासन के सामने कई बड़े सवाल

- आखिर छह महीने में चार बार बच्चे कैसे फरार हो गए?
- दोनों संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था बार-बार क्यों विफल हो रही है?
- क्या सुरक्षा मानकों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएगा?
- 2012 से खाली जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति कब होगी?
- क्या हर फरारी की घटना में जिम्मेदारी तय हुई?
- क्या संबंधित अधिकारियों पर वास्तविक कार्रवाई हुई?
- क्या अब भी केवल जांच होगी या व्यवस्था में स्थायी सुधार भी होगा?

जनता पूछ रही है...

- फरारी की घटनाएं कब रुकेंगी?
- क्या अगली घटना का इंतजार किया जा रहा है?
- क्या बाल संरक्षण संस्थान वास्तव में सुरक्षित हैं?
- क्या बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल कागजों तक सीमित है?
- क्या वर्षों से रिक्त पदों को भरने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा?

अपचारी बच्चों के फरार होने की घटनाओं की सादृणी (वर्ष 2026)

क्रमांक	घटना की तिथि	संस्था	फरार अपचारी बच्चों की संख्या	प्रमुख तथ्य
1	17 फरवरी 2026	प्लेस ऑफ सेफ्टी, अम्बिकापुर	15	वर्ष 2026 की पहली बड़ी फरारी, मुद्रा आकस्मिकता पर समीक्षा सवाल
2	24 जून 2026	बाल संप्रेक्षण गृह, अम्बिकापुर	11	खिड़की तोड़कर फरार होने की घटना, मुद्रा आकस्मिकता फिर बढाते हैं
3	14 जुलाई 2026	बाल संप्रेक्षण गृह, अम्बिकापुर	13	20 दिन के भीतर दूसरी बार संप्रेक्षण गृह से फरारी, मुद्रा के दावों की जांच नहीं
4	23 जुलाई 2026	प्लेस ऑफ सेफ्टी, अम्बिकापुर	3	कलेक्टर की समीक्षा बैठक के कुछ घंटे बाद तीन बच्चे खिड़की तोड़कर फरार

संस्थावार स्थिति

संस्था	फरारी की घटनाएं	कुल फरार बच्चे
प्लेस ऑफ सेफ्टी	2	18 (15+3)
बाल संप्रेक्षण गृह	2	24 (11+13)
कुल	4 घटनाएं	42 अपचारी बच्चे

संस्थावार स्थिति

बिंदु	स्थिति
वर्ष	2026
कुल फरारी की घटनाएं	4
प्लेस ऑफ सेफ्टी से फरारी	2 बार
बाल संप्रेक्षण गृह से फरारी	2 बार
कुल फरार अपचारी बच्चे	42
जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद	2012 से रिक्त
वर्तमान व्यवस्था	प्रभारी अधिकारी के भरोसे संचालन
नवीनतम घटना	23 जुलाई 2026 - कलेक्टर की समीक्षा बैठक के बाद उसी रात 3 बच्चे फरार

CMYK

राजस्व न्यायालय का बड़ा फैसला : सरकारी सड़क की जमीन से रितेश अग्रवाल को बेदखल करने का आदेश

सूरजपुर में सरकारी सड़क पर कब्जे मामले में ट्रिपल स्टोरी भवन पर चला राजस्व विभाग का डंडा...

- शासकीय सड़क पर अतिक्रमण साबित,ट्रिपल स्टोरी भवन हटाने का आदेश...
- सरकारी भूमि पर ट्रिपल स्टोरी भवन! तीन दिन में अतिक्रमण हटाओ,वरना होगी बेदखली...
- अतिक्रमण पर राजस्व का बड़ा एक्शन : सरकारी सड़क पर बने भवन को हटाने का आदेश...
- सड़क पर भवन खड़ा हो गया और सिस्टम देखता रहा! अब तहसीलदार ने जारी किया बेदखली आदेश
- छसरा क्रमांक 2630 की शासकीय सड़क भूमि पर 0.033 हेक्टेयर में ट्रिपल स्टोरी भवन,कार्यालय,फैक्ट्री और बाउंड्रीवाल निर्माण को माना अतिक्रमण...तीन दिन में पालन नहीं होने पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई।

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर शहर में शासकीय सड़क की भूमि पर कथित अतिक्रमण कर ट्रिपल स्टोरी भवन, कार्यालय,फैक्ट्री और बाउंड्रीवाल निर्माण किए जाने के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है,लंबी सुनवाई, राजस्व अभिलेखों,पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट,दोनों पक्षों के तर्क तथा उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भों पर विचार करने के बाद तहसीलदार ने भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित अनावेदक रितेश अग्रवाल (पिता- सुरेश अग्रवाल) को शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया है,न्यायालय ने तीन दिवस के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होता है,तो राजस्व विभाग नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई करेगा।

क्या है पूरा मामला?

राजस्व अभिलेखों के अनुसार सूरजपुर नगर स्थित खसरा क्रमांक 2630,कुल रकबा 1.975 हेक्टेयर शासकीय सड़क मद में दर्ज है,पटवारी हल्का क्रमांक-08 द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि उक्त शासकीय भूमि में से लगभग 0.033 हेक्टेयर क्षेत्र पर रितेश अग्रवाल द्वारा ट्रिपल स्टोरी भवन,कार्यालय,फैक्ट्री तथा बाउंड्रीवाल का निर्माण कर कब्जा किया गया है,रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर विधिवत सुनवाई प्रारंभ की गई, राजस्व विभाग का कहना था कि सड़क मद में दर्ज भूमि पर निजी निर्माण किया जाना कानूनन

अनावेदक ने पटवारी रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल

दूसरी ओर अनावेदक रितेश अग्रवाल ने न्यायालय के समक्ष विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर पूरे प्रकरण को चुनौती दी,उन्होंने कहा कि पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार पंचनामा पक्षपातपूर्ण है और उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया,उनके अनुसार पंचनामा बनाने समय उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और न ही उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई,उन्होंने यह भी कहा कि पुराने राजस्व नक्शों का सही परीक्षण नहीं किया गया तथा जिस कथित सड़क का उल्लेख किया जा रहा है,उसकी वास्तविक चौड़ाई और सीमाएं वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित नहीं की गई,उनका दावा था कि जिस भूमि पर निर्माण है, वहां उनका परिवार तीन पीढ़ियों से व्यापार कर रहा है और किसी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं किया गया,उन्होंने न्यायालय से दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः सीमांकन कराने,संयुक्त स्थल निरीक्षण कराने तथा आधुनिक सर्वे तकनीक के माध्यम से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

अतिक्रमण की श्रेणी में आता है,इसलिए कार्रवाई आवश्यक है।

आपत्तिकर्ता ने उठाया सरकारी भूमि पर कब्जे का मुद्दा-प्रकरण में आपत्तिकर्ता कुंजबिहारी गुप्ता ने न्यायालय में विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि शासकीय सड़क की भूमि पर पक्का भवन बनाकर फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है,उन्होंने तर्क दिया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निजी कब्जा न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों का भी हनन है,उन्होंने न्यायालय से तत्काल अतिक्रमण हटाने की मांग की, सुनवाई के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर के रिट क्रमांक 866/2026 (डी.के. सोनी एवं अन्य बनाम शास्टर) में पारित आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की और कहा कि मामले का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने क्यों नहीं माना बचाव पक्ष का तर्क?-सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट,राजस्व अभिलेख,दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा आपत्तियों का

परीक्षण किया,न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संबंधित भूमि शासकीय सड़क मद में दर्ज है और उस पर निर्माण कर कब्जा किया जाना प्रमाणित होता है,न्यायालय ने यह भी माना कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अतिक्रमण के निष्कर्ष को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसी आधार पर भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 248 के तहत अतिक्रमण हटाने एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया।

तीन दिन का समय, फिर होगी

प्रशासनिक कार्रवाई-तहसीलदार न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि संबंधित अनावेदक तीन दिवस के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाकर न्यायालय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, यदि निर्धारित अवधि में ऐसा नहीं किया जाता है तो राजस्व विभाग स्वयं नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई करेगा, इस आदेश के बाद अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसे समयबद्ध तरीके से लागू कराने की होगी।

सूरजपुर शहर में सरकारी सड़क पर कब्जा,

बना ट्रिपल स्टोरी भवन! तहसीलदार न्यायालय ने जारी किय बेखली आदेश

रितेश अग्रवाल द्वारा रोड की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश



खसरा क्रमांक 2630, कुल रकबा 1.975 हेक्टेयर, शासकीय सड़क मद में दर्ज

लगभग 0.033 हेक्टेयर पर ट्रिपल स्टोरी भवन, कार्यालय, फैक्टरी एवं बाउंडीवाल का निर्माण

तीन दिवस में अतिक्रमण हटाने के निर्देश, नहीं हटाने पर होगी बेदखली की कार्रवाई

अब उठ रहे हैं कई अहम सवाल....

यह मामला केवल एक अतिक्रमण तक सीमित नहीं रह गया है,बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है, सबसे पहला सवाल यह है कि यदि निर्माण वास्तव में शासकीय सड़क की भूमि पर हुआ,तो ट्रिपल स्टोरी भवन,कार्यालय और फैक्ट्री का निर्माण पूरा होने तक संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या निर्माण के दौरान नगर पालिका,राजस्व विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने कोई निरीक्षण किया था? तीसरा सवाल यह है कि यदि अनावेदक की ओर से लगाए गए आरोप सही हैं और सीमांकन या पंचनामा प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई है, तो क्या इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी?

क्या आगे बढ़ेगा कानूनी विवाद?

राजस्व न्यायालय का आदेश आने के बाद संभावना है कि संबंधित पक्ष उच्च न्यायालय या सक्षम न्यायिक मंच का दरवाजा खटखटा सकता है, यदि ऐसा होता है तो पूरे प्रकरण की कानूनी समीक्षा उच्च स्तर पर भी हो सकती है, वहीं यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो राजस्व विभाग को पुलिस बल के सहयोग से बेदखली की कार्रवाई करनी पड़ सकती है।

अब प्रशासन की

कार्रवाई पर टिकी निगाहें...

सूरजपुर शहर के चर्चित इस प्रकरण में तहसीलदार न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया है,अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आदेश के क्रियान्वयन का है, यदि तीन दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है,तो यह देखना होगा कि प्रशासन कितनी तत्परता और निष्पक्षता से कार्रवाई करता है,हालांकि,यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक ने न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षण और सीमांकन प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं, यदि वे आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं,तो मामले की आगे की दिशा न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी,फिलहाल तहसीलदार न्यायालय का आदेश प्रभावी है और प्रशासन के सामने उसे लागू कराने की जिम्मेदारी है।

जनपद पंचायत खड़गवां की निगरानी पर सवाल : ग्राम पंचायत सिंघत में विकास हुआ या योजनाओं की राशि में खेल?

बारेलाल ट्रेडर्स के नाम से लगातार भुगतान,पात्रता पर उठे सवाल,शिकायत की जांच भी बनी विवाद का विषय

संजय ठापाँ

खड़गवां,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले की जनपद पंचायत खड़गवां अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंघत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है,ग्रामीणों ने पंचायत में वर्ष 2021 से अब तक हुए विकास कार्यों,शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय भुगतान और हितग्राही चयन में व्यापक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं,उनका कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तो पंचायत स्तर से लेकर जनपद पंचायत स्तर तक कई गंभीर तथ्य सामने आ सकते हैं,हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित मामले की आधिकारिक जांच शेष है।

‘बारेलाल ट्रेडर्स’ के नाम से लगातार भुगतान पर सवाल....

ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2021 से वर्तमान तक ग्राम पंचायत सिंघत में ‘बारेलाल ट्रेडर्स’ के नाम से लगातार बिल लगाकर पंचायत निधि से भुगतान किया गया,उनका दावा है कि जिन कार्यों के नाम पर राशि निकाली गई,उनमें से कई कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देते या अधूरे हैं,ग्रामीणों का कहना है कि यदि पंचायत के बिल-वाउचर, माप पुरितका (एमबी), कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और भुगतान अभिलेखों की जांच कराई जाए तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में भी पात्रता पर सवाल...

ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही चयन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, उनका आरोप है कि पंचायत में ऐसे लोगों को आवास का लाभ दिया गया जिनके पास पहले से पर्याप्त भूमि,ट्रेक्टर, बोलेरो और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, वहीं कई गरीब और वास्तविक पात्र परिवार आज भी योजना के लाभ से वंचित हैं,आरोप यह भी है कि कुछ स्वीकृत आवसों का निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ,लेकिन पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया, यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह हितग्राही चयन और भुगतान प्रक्रिया दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

स्वच्छता और अन्य योजनाओं में भी अनियमितता के आरोप...

ग्रामीणों का कहना है कि केवल आवास योजना ही नहीं बल्कि शौचालय,स्वच्छता और अन्य पंचायत योजनाओं में भी पात्रता नियमों का पालन नहीं किया गया, उन्होंने मांग की है कि पंचायत की सभी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) और वित्तीय ऑडिट कराया जाए।

सबसे बड़ा सवाल जनपद पंचायत खड़गवां की भूमिका पर...

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न जनपद पंचायत खड़गवां की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहा है,ग्रामीण पूछ रहे हैं कि जब पंचायत से प्रत्येक प्रस्ताव,प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति और भुगतान संबंधी दस्तावेज जनपद कार्यालय भेजे जाते हैं,तो संबंधित अधिकारी बिना पर्याप्त सत्यापन के स्वीकृति कैसे प्रदान कर देते हैं? यदि पंचायत स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, तो क्या केवल सरपंच और सचिव जिम्मेदार होंगे या फिर उन प्रस्तावों को स्वीकृति देने वाले अधिकारी भी जवाबदेह होंगे?

शिकायत की जांच भी सवालों के घेरे में...

ग्रामीणों ने शिकायत की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं,उनका कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जनपद पंचायत खड़गवां से दो अधिकारी जांच के लिए ग्राम पंचायत सिंघत पहुंचे, लेकिन उन्होंने शिकायतकर्ता को पूर्व सूचना नहीं दी,ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर केवल औपचारिकता पूरी की और वापस लौट गए,उनका यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता को जांच की तिथि पहले से बताने के बजाय जांच अधिकारियों ने केवल पंचायत प्रतिनिधियों को सतर्क करने का काम किया, यदि यह आरोप सही हैं तो जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं।

जनपद पंचायत खड़गवां की निगरानी पर बड़े सवाल!

ग्राम पंचायत सिंघत में योजनाओं की राशि पर डाका?

सरपंच-सचिव की मनमानी या अधिकारियों की मिलाभगत? ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग



क्या सिर्फ सरपंच और सचिव जिम्मेदार? स्वीकृति देने वाले अधिकारी भी घेरे में

ग्रामीणों के सवाल...

ग्रामीणों ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं वर्ष 2021 से अब तक ‘बारेलाल ट्रेडर्स’ के नाम हुए भुगतानों की जांच कब होगी? प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अपात्र हितग्राहियों को लाभ देने की जांच कौन करेगा? जनपद पंचायत ने प्रस्तावों और भुगतानों को किस आधार पर स्वीकृति दी? यदि वित्तीय अनियमितता हुई है तो क्या केवल सरपंच और सचिव जिम्मेदार होंगे या संबंधित अधिकारी भी जवाबदेह होंगे? शिकायत की जांच बिना शिकायतकर्ता की उपस्थिति के क्यों की गई?

ग्रामीणों की मांग-हो उच्चस्तरीय जांच

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संबंधित जांच एजेंसियों से मांग की है कि ग्राम पंचायत सिंघत में वर्ष 2021 से अब तक हुए सभी विकास कार्यों, पंचायत निधि के भुगतान,मस्टर रोल,बिल-वाउचर,प्रधानमंत्री आवास योजना,शौचालय,स्वच्छता योजना तथा अन्य योजनाओं की उच्चस्तरीय,स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, उनका कहना है कि यदि पूरी पारदर्शिता से जांच हुई तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो सकेगी।

सचिव ने आरोपों से किया इनकार

जब इस संबंध में ग्राम पंचायत सिंघत के सचिव अनुराग दुबे से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ‘मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ग्राम सभा में सभी जानकारी दी गई है। ’

जांच के बाद ही स्पष्ट होगी सच्चाई

यह मामला फिलहाल ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों और पंचायत सचिव के खंडन पर आधारित है,आरोपों की सत्यता किसी सक्षम एवं निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी,यदि जांच में वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आती हैं तो कार्रवाई पंचायत प्रतिनिधियों तक सीमित रहेगी या जनपद स्तर के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी,यह जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा, फिलहाल ग्रामीणों की निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

करोड़ों की स्ट्रीट लाइट योजना पर सवाल,नई

लाइटें भी बंद,गुणवत्ता जांच की मांग तेज

खजब नेतृ एवं वीर क्लबका लारव गुप्ता ने सीएमओ और नगर प्रयाव को लीक ज्ञापन,अमानक राकमी और छटीय गुणवत्ता के लक्षण आरोप

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित की जा रही स्ट्रीट लाइट एवं द्युबलर पोल योजना की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं,भाजपा नेता एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष शारदा गुप्ता ने नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) से मुलाकात कर तथा नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे कार्य की तकनीकी जांच कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शहर में हाल ही में लगाई गई कई नई स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हैं,जबकि जिन स्थानों पर कार्य अभी जारी है वहां भी अमानक सामग्री और निम्न गुणवत्ता के तारों का उपयोग किए जाने की शिकायत मिल रही है, उनका कहना है कि यदि सतह पर दिखने वाले कार्यों में ही गुणवत्ता का अभाव है, तो द्युबलर पोल और अन्य निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

करोड़ों की योजना,लेकिन रोशनी अधूरी-शारदा गुप्ता ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र में बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपये की लागत से द्युबलर पोल और स्ट्रीट लाइट लगाने की स्वीकृति दी है,उनका कहना है कि सरकार की मंशा शहर को बेहतर और सुरक्षित प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराना है,लेकिन जमीनी स्तर पर कई स्थानों पर नई लाइटें ही बंद पड़ी हैं, इससे योजना के क्रियाव्यवन और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अमानक सामग्री के उपयोग का आरोप-ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि स्ट्रीट लाइट कार्यों में मानक गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है,विशेष रूप से बिजली के तार और अन्य उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं,शारदा गुप्ता ने मांग की है कि पूरे कार्य का स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण कराया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उपयोग की गई सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं।

बरसात में बह सकती हैं दुर्घटनाएं-उन्होंने कहा कि वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रही है और ऐसे समय में सड़कों पर पर्याप्त रोशनी होना अव्यंत आवश्यक है,यदि स्ट्रीट लाइटें बंद रहेंगी तो वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को पेशानी का सामना करना पड़ेगा तथा दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ सकती है।

उच्च अधिकारियों से भी की शिकायत-शारदा गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में संचालक,नगरीय प्रशासन,अंबिकापुर (सरगुजा संभाग) को भी ज्ञापन भेजकर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है,उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई,तो मुख्यमंत्री, संबंधित विभागीय मंत्री तथा अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष भी शिकायत प्रस्तुत की जाएगी।

नगर पालिका ने दिया जांच का आश्वासन-ज्ञापन प्राप्त होने के बाद नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के अधिकारियों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, अब देखना यह होगा कि जांच कितनी जल्दी होती है और यदि गुणवत्ता में कमी या अमानक सामग्री के उपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है।

प्रतापपुर के मदननगर में हिंसक झड़प भूमि अधिग्रहण के दौरान बवाल, डीएसपी समेत 24 से अधिक पुलिसकर्मी घायल



प्रतापपुर के मदननगर में बवाल : भूमि अधिग्रहण और गिरफ्तारी की कार्रवाई के बीच हिंसक झड़प, डीएसपी समेत 24 से अधिक पुलिसकर्मी घायल...

ग्रामीणों के घायल होने की भी सूचना...कई वाहन क्षतिग्रस्त...पुलिस और ग्रामीणों के दावे अलग-अलग...जांच के बाद ही साफ होगी पूरी तस्वीर...

—ऑफर पाण्डेय—

सूरजपुर/प्रतापपुर, 24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मदननगर गांव में शुक्रवार को प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान अचानक हिंसक झड़प हो गई, घटना में एक डीएसपी सहित 24 से अधिक पुलिस अधिकारी एवं जवान घायल हो गए, जबकि कई ग्रामीणों के घायल होने की भी सूचना है, कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा है तथा कुछ वाहनों में आग लगाने के प्रयास की भी जानकारी सामने आई है, घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अंबिकापुर-प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा, हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के अलग-अलग दावे सामने आए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार टीम भूमि अधिग्रहण एवं सर्वे की कार्रवाई के लिए गांव पहुंची थी, जबकि पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टीम पूर्व में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे और उसी को लेकर विवाद बढ़ा। ऐसे में घटना की वास्तविक परिस्थितियां जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी।

सुबह शुरू हुई कार्रवाई, कुछ ही घंटे में बिगड़ गए हालात—जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह प्रशासनिक एवं पुलिस अमला बड़ी संख्या में मदननगर गांव पहुंचा, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगभग 500

पथराव, धक्का-मुक्की और लाठीचार्ज जैसे हालात...

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, फिर धक्का-मुक्की शुरू हो गई, इसके बाद पथराव और मारपीट की स्थिति बन गई, हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, इसी दौरान पथराव में एक डीएसपी सहित दो दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी एवं जवान घायल हो गए, घटना में कई ग्रामीणों के घायल होने की भी सूचना है, सभी घायलों का उपचार प्रतापपुर एवं धर्मपुर स्वास्थ्य केंद्रों में कराया गया।

सरकारी वाहनों को नुकसान, आग लगाने की कोशिश की भी चर्चा...

घटना के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा कई पुलिस एवं सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की जानकारी सामने आई है, कुछ वाहनों में आग लगाने का प्रयास किए जाने की भी चर्चा है, हालांकि आगजनी से हुए नुकसान का आधिकारिक विवरण अभी जारी नहीं किया गया है, सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था, मौके पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर उनकी आपत्तियों और मांगों पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया, प्रशासनिक टीम के पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हो गए, देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और विवाद हिंसक झड़प में बदल गया।

अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर चक्काजाम—घटना के बाद ग्रामीणों ने अंबिकापुर-प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक आवागमन प्रभावित रहा, सुरक्षा कारणों से पुलिस ने मार्ग पर आवाजाही सीमित कर दी और अतिरिक्त बल तैनात किया गया, पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण की स्थिति बताई जा रही है।

पुलिस का पक्ष: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी टीम—सूरजपुर पुलिस की ओर से जारी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस टीम गांव में पूर्व से दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी, इसी दौरान ग्रामीणों के विरोध के कारण स्थिति बिगड़ गई और हिंसक झड़प हुई, पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है तथा हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों का पक्ष: भूमि अधिग्रहण बना विवाद की वजह—दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि उनकी आपत्तियों और मांगों पर प्रशासन ने समुचित सुनवाई नहीं की, इसी कारण प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया गया और विवाद बढ़ गया।

दो दावे, एक घटना—जांच के बाद सामने आएगी पूरी सच्चाई—इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के कारणों को लेकर दो अलग-अलग दावे सामने आए हैं, प्रशासनिक पक्ष के अनुसार कार्रवाई भूमि अधिग्रहण एवं सर्वे से जुड़ी थी, पुलिस का कहना है कि टीम आपराधिक मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी, ग्रामीणों का कहना है कि पूरा विवाद भूमि अधिग्रहण के विरोध से जुड़ा है, ऐसे में घटना का वास्तविक कारण और पूरी परिस्थितियां आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी।

मदननगर मामले की जांच करेगी कांग्रेस की 8 सदस्यीय समिति—मदननगर में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प तथा कथित लाठीचार्ज के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए आठ सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, समिति के संयोजक पूर्व मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह बनाए गए हैं, इसके अलावा पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, विधायक जनक धुव, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशी सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष जगत आयाम, ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जायसवाल तथा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र दुबे को सदस्य बनाया गया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैरू द्वारा जारी आदेश

के अनुसार समिति मदननगर और प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात करेगी, घटनास्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगी और पूरे मामले की विस्तृत

जांच रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी, समिति के गठन के बाद अब उसकी जांच और रिपोर्ट पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों स्तरों पर निगाहें टिकी हुई हैं।

घायल पुलिसकर्मियों में शामिल प्रमुख नाम

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायल पुलिसकर्मियों में शामिल हैं अमर सिंह (45 वर्ष), सुखीचंद एवका (59 वर्ष), नंदकिशोर राजवाड़े (43 वर्ष), फूलमती राजवाड़े, सविता साहू इसके अलावा दो दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी, जवान एवं अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है, घायलों का उपचार बीएमओ के निर्देशन में डॉ. विकास गुप्ता, डॉ. आफताब खान तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया गया।

प्रशासन की अगली कार्रवाई...

घटना के बाद पूरे मदननगर गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

एक नजर में...

बिंदु	जानकारी
स्थान	मदननगर, प्रतापपुर (सूरजपुर)
घटना	प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प
घायल	डीएसपी सहित 24 से अधिक पुलिसकर्मी, कई ग्रामीण भी घायल होने की सूचना
नुकसान	कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त, आग लगाने के प्रयास की जानकारी
साइक व्यवस्था	अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग प्रभावित
पुलिस का दावा	आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी टीम
ग्रामीणों का दावा	भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुआ विवाद
वर्तमान स्थिति	भारी पुलिस बल तैनात, जांच जारी

स्वास्थ्य मंत्री से मिले शिक्षक, लंबित मांगों के समाधान का मिला भरोसा

टीईटी विसंगति, पुरानी पेंशन, पदोन्नति और अवकाश सहित कई मुद्दों पर शासन स्तर पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन



—संवाददाता—
मनेंद्रगढ़, 24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, जिला एमसीबी के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सौजन्य मुलाकात कर शिक्षकों की वर्षों से लंबित विभिन्न समस्याओं और मांगों को विस्तार पूर्वक उनके समक्ष रखा, प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि (डीईओ) से भी फोन पर चर्चा कर लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे पूरा करने के निर्देश दिए, मंत्री ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के अधिकारियों से भी संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

शिक्षकों को दिया सरकारात्मक कार्रवाई का भरोसा—स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि शिक्षकों की मांगें महत्वपूर्ण हैं और राज्य सरकार इनके समाधान के प्रति गंभीर एवं

रहने से बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हैं और उनमें असंतोष बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षा मंत्री से की तत्काल चर्चा—मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तत्काल दूरभाष पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से चर्चा की, उन्होंने टीईटी संबंधी विसंगतियों और पुरानी पेंशन योजना में पूर्ण सेवा अवधि की गणना जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी देते हुए शीघ्र समाधान का अनुरोध किया, इसके साथ ही उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से भी फोन पर चर्चा कर लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे पूरा करने के निर्देश दिए, मंत्री ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के अधिकारियों से भी संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

शिक्षकों को दिया सरकारात्मक कार्रवाई का भरोसा—स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि शिक्षकों की मांगें महत्वपूर्ण हैं और राज्य सरकार इनके समाधान के प्रति गंभीर एवं



जिला शिक्षा अधिकारी को भी सौंपा अलग ज्ञापन

स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी से भी भेंट कर जिला स्तर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की, इस दौरान डीईओ को सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखी गईं अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को 20 आकर्षक अवकाश (सीएल) का लाभ दिया जाए, जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को अर्जित अवकाश प्रदान किया जाए, लोकसभा निर्वाचन कार्य में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाए, लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए।

शिक्षकों ने कहा...समयबद्ध समाधान से बढ़ेगा मनोबल

प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाता है तो शिक्षकों को लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक समस्याओं से राहत मिलेगी, इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, संगठन ने उम्मीद जताई कि शासन एवं प्रशासन शिक्षकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इन मांगों पर जल्द ठोस निर्णय लेगा।

संवेदनशील है, उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण का हस्तभंख प्रयास किया जाएगा।

संवाद जारी रखने की बात—छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया

कि संगठन भविष्य में भी शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन-प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से अपनी बात रखता रहेगा, आवश्यकता पड़ने पर व्यापक स्तर पर संवाद और सकारात्मक प्रयास जारी रखे जाएंगे।

जिला प्रशासन और निकोन छत्तीसगढ़ की संयुक्त पहल, दो दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला संपन्न, विद्यार्थियों ने सीखी आधुनिक कैमरा तकनीक और वीडियोग्राफी की बारीकियां



—संवाददाता—

सूरजपुर, 24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। डिजिटल युग में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को तकनीकी एवं रोजगारपरक कौशल से जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सूरजपुर एवं निकोन छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन हुआ, जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न स्कूलों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक कैमरा तकनीक, डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना था, ताकि वे इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से परिचित हो सकें।

कैमरा तकनीक से लेकर कंपोजिशन तक मिला प्रशिक्षण—कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को आधुनिक कैमरों की कार्यप्रणाली, विभिन्न प्रकार के लेंस, उनके उपयोग, कैमरा संचालन, फ्रेमिंग, कंपोजिशन, प्रकाश व्यवस्था तथा प्रभावी फोटोग्राफी के मूलभूत सिद्धांतों की विस्तार से जानकारी दी, साथ ही यह भी बताया गया कि



किसी दृश्य को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकी समझ के साथ रचनात्मक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण होता है।

इनका रहा महत्वपूर्ण योगदान—कार्यशाला के सफल आयोजन में डीएमसी मनोज कुमार साहू, पर्यटन विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. मोहन लाल साहू, प्रभारी प्राचार्य ब्रजलाल साहू, सहायक प्राध्यापक अनिल चक्रधारी, निकोन टीम के गौरव जैन एवं अनुग्रह पुरोहित, प्रशिक्षक मोहित साहू तथा विभिन्न विद्यालयों के नोडल शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

